District Court Khandwa and Civil Court Harsud LokAdalat 09-09-2023 press release

नेशलन लोक अदालत

686 लंबित और प्रीलिटिगेशन के 1801 मामलों का निराकरण किया

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

खंडवा. जिला न्यायालय में शनिवार को इस वर्ष की तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। जिला और तहसील स्तर पर बनाई गई न्यायिक खंडपीठों ने समझौता योग्य 686 लंबित और प्रीलिटिगेशन के 1801 मामलों का निराकरण किया। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ जिला न्यायालय परिसर में स्थित एडीआर सेंटर में सुबह करीब 10:30 बजे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ममता जैन ने दीप प्रज्जवल कर किया। नेशनल लोक अदालत में जिला मुख्यालय पर 11, तहसील न्यायालय हरसूद में तीन और तहसील न्यायालय

पूनासा में एक खंडपीठ का गठन किया गया था। इस तरह से 15 न्यायिक खंडपीठो द्वारा न्यायालयों में लंबित 686 प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निराकरण किया गया। इसके अलावा 1801 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण हुआ है।

पक्षकारों को दिया मार्गदर्शन

जिला न्यायालय परिसर में बैंक, नगर निगम, विद्युत मंडल के स्टाल लगे रहे। यहां प्रधान जिला एंव सत्र न्यायाधीश ममता जैन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सूरज सिंह राठौड़ ने सभी स्थलों पर जाकर पक्षकारों को मार्गदर्शन प्रदान किया। इसके साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को पात्र पक्षकारों को राहत पहुंचाने के लिए छूट दिलाए जाने के निर्देश दिए।

लक्ष्य से एक करोड़ रुपए पीछे रह गया निगम

लोक अदालत में 1.69 करोड़ की हुई वसूली

खंडवा. नगर निगम ने शनिवार को हुई लोक अदालत में संपत्तिकर और जलकर की वसूली का 2.72 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था। आगामी माह में वेतन देने के लिए अभियान का नाम मिशन 272 रखा गया था। शनिवार को लोक अदालत सहित निगम में लगे काउंटरों पर 1.69 करोड़ की ही वसूली हो पाई। अब निगम द्वारा रविवार को भी वार्डों में डोर-टू-डोर अभियान चलाकर वसूली की जाएगी। निगम ने संपत्तिकर और जलकर में छूट भी दी थी। इसके बावजूद वसूली का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। शनिवार को नगर निगम ने लोक अदालत में 5 काउंटर, निगम की चारों खिड़कियों सहित 6 अतिरिक्त काउंटर निगम में लगाए थे। निगम ने संपत्तिकर के 20 करोड़ की वसूली के लिए 11265 उपभोक्ताओं और जलकर के 14 करोड़ रुपए वसूली के लिए 11654 उपभोक्ताओं को नोटिस भी जारी किए थे। शनिवार को लोक अदालत सहित निगम के सभी काउंटरों, डोर-टू-डोर वसूली में संपत्तिकर से 1.27 करोड़ और जलकर से महज 41.92 लाख की ही वसूली हो पाई। उपायुक्त वित्त सचिन सिटोले ने बताया कि रविवार को वार्डों में वसूली अभियान चलाया जाएगा।

सिविल न्यायालय हरसूद

नेशनल लोक अदालत में 139 मामलों का हुआ निराकरण

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

हरसूद. शनिवार को सिविल न्यायालय हरसूद में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें 139 मामलों का निराकरण तथा 15 लाख 29938 रूपए के अवार्ड पारित हुए।

शनिवार सुबह साढे 10 बजे के लगभग सिविल न्यायालय हरसूद में अपर जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति हरसूद श्री आशीष दवंडे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड हरसूद श्री जयप्रताप चिडार एवं व्यवहार न्यायाधी कनिष्ठ खंड हरसूद श्री महादेव पटेल द्वारा मा सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। नेशनल लोक अदालत में सिविल न्यायालय हरसूद की 3 खंडपीठों में कुल 108 तथा प्रीलिटिगेशन के रूप में 31 प्रकरणों का निराकरण हुआ। जिससे 15 लाख 29938 रूपए के अवार्ड पारित हुए।

नेशनल लोक अदालत के अवसर पर पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं को संबोधित करते अपर जिला न्यायाधीश श्री आशीष दवंडे।

नेशनल लोक अदालत में आयुर्वेद चिकित्सा शिविर भी लगाया गया। जिसमें डॉ विनोद रेवापाटी द्वारा 80 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा मौसमी बीमारियों से बचने के लिए त्रिकटु काढा के पैकेट भी बांटे गए।

प्रकरण का निपटारा होंने पर पक्षकार को पौधा भेंट करते हुए।